

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला कटनी (म.प्र.)

//आदेश //

पत्र क्रमांक — ९९/ई-कोर्ट/2026

कटनी दिनांक ०९/०२/२०२६

माननीय उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश, जबलपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक बी/836 दिनांक 02.02.2026 के माध्यम से यह निर्देशित किया गया है कि जिला न्यायिक स्थापनाओं में वर्तमान में कार्यरत अथवा पूर्व में कार्यरत न्यायालयों से संबंधित ऐसे प्रकरण, जिनके अभिलेख माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तलब किए जाने के कारण संबंधित न्यायालय में दास्त फाईले संधारित है अथवा ऐसे प्रकरण जिनमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित स्थगन/हेल्ड-अप आदेश के कारण जिला न्यायालयों में प्रकरण लंबित दर्शाए जा रहे हैं, साथ ही ऐसे निराकृत प्रकरण जो अभिलेखागार में संचित हैं तथा जिनसे संबंधित अपील अथवा पुनरीक्षण प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं और जिनके मूल अभिलेख माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित किए जा चुके हैं। उन समस्त प्रकरणों में सी.एन.आर. नंबर लिंक किया जाना अनिवार्य है।

उक्त कार्य को प्राथमिकता के साथ शीघ्रातिशीघ्र किया जाना आवश्यक है।
अतः उक्त कार्य संपादन हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :-

- (1) प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय कटनी एवं अन्य समस्त न्यायिक अधिकारीगण उनके अधिनस्थ पदस्थ कर्मचारीगण के माध्यम से उक्त कार्य कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- (2) प्रभारी अधिकारी, अभिलेखागार, यह सुनिश्चित करेंगे कि सी.एन.आर. नंबर लिंक किए जाने वाले प्रकरणों की सूची समान अनुपात में (प्रति न्यायालय 700-700 प्रकरण) प्रत्येक न्यायालय को उपलब्ध कराई जाए।
- (3) जूनियर सिस्टम एनालिस्ट/सिस्टम अस्सिस्टेंट/अभिलेखपाल उक्त कार्य संपादन हेतु आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगे।
- (4) उक्त वर्णित संपूर्ण कार्य आवश्यक रूप से 16.02.26 तक पूर्ण कराया जावे तथा न्यायिक अधिकारीगण दिनांक 16.02.26 को तत्संबंधी पालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से पेश करें।

(जितेन्द्र कुमार शर्मा)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी

पृ. पत्र क्रमांक — 352/ई-कोर्ट/2026

कटनी दिनांक ०९/०२/२०२६

प्रतिलिपि :-

- 1— प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय कटनी
- 2— न्यायिक अधिकारी समस्त, कटनी, बरही, विजयराघवगढ, ढीमरखेड़ा।
- 3— प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग/अभिलेखागार अनुभाग।
- 4— सर्वसंबंधित कर्मचारीगण-समस्त
की ओर सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।
- 5— जूनियर सिस्टम एनालिस्ट की ओर बेवसाईट पर अपलोड करने एवं
इलेक्ट्रानिक माध्यम से प्रेषित किये जाने हेतु अप्रेषित।

(जितेन्द्र कुमार शर्मा)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी